न्यायालय -अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1,
भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	-अंशुमान सिंह खंगारोत, आर.जे.एस.
नियमित फौज. प्रकरण सं.	-379/2022
सी.आई.एस संख्या	-2165/2022
एफ.आई.आर. संख्या	-21/2021 पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर
CNR No.	-RJBH020047912022

राजस्थान राज्य

ब ना म

प्रशान्त बुन्देल पुत्र ठाकुर सिंह, तत्समय उम्र 18 साल 01 माह, निवासी कुम्हेर गेट, प्रताप कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, भरतपुर (राज.)

....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता 1860

उपस्थित:
1. अभियोजन अधिकारी, अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री प्रवीण कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त

- निर्णय - **दिनांक 19.09.2024**

01. अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल के विरूद्व धारा 379 भा.द.सं. के तहत एक आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2022 को प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संस्थित किया गया तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्व उपरोक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, परिवादी महेश झॉ ने न्यायालय के माध्यम से जरिये परिवाद पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर पर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 इस आशय की दर्ज करवायी कि, दिनांक 13.11.2020 को दोपहर दो बजे उसके जियो कम्पनी के मोबाइल को कोई अज्ञात व्यक्ति सुलभ काम्लेक्स, प्रताप कोलोनी, कुम्हेर गेट भरतपुर से चोरी करके ले गया.....इत्यादि।

उक्त परिवाद पर प्रकरण संख्या- 21/2021 अर्न्तगत धारा 379 भा.द.स. के तहत पंजीबद्व किया जाकर अनुसन्धान प्रारभ्भ किया गया तथा बाद संपूर्ण अनुसन्धान अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल के विरुद्व धारा 379 भा.द.स. के तहत आरोप पत्र उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त को धारा 379 भादसं के अपराध की विशिष्टियों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों अस्वीकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड.1 पूजा, पी.ड.2 मोहित, पी.ड.3 महेश, पी.ड.4 अभिषेक, पी.ड.5 नरेन्द्र, पी.ड.6 सुशील कुमार, पी.ड.7 भूपालसिंह, पी.ड.8 राजकुमार, पी.ड.9 प्यारेलाल, के बयान लेखबद्व करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी.1, पुलिस बयान प्रदर्श पी.2, इस्तगासा प्रदर्श पी.3, मोबाइल का बिल प्रदर्श पी.4 लगायत प्रदर्श पी.6, प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.7, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.8, फर्द बरामदगी मोबाइल प्रदर्श पी.9, बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.10 को प्रदर्शित करवाया गया।

05. दिनांक 28.06.2024 को अभियुक्त को धारा 313 सीआरपीसी के प्रावधानानुसार परिक्षित किया गया तो अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा और स्वयं के निर्दोष होने बाबत् कथन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्व घोषित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह अभिकथित किया गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्त को चोरी करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया है। प्रकरण में बरामदगी भी स्वतंत्र गवाहों के सामने नहीं बनाई गई है। अतः बरामदगी की संपूर्ण कार्यवाही सन्देहास्पद है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07. उभय पक्ष द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्कों पर मनन कर, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू होते हैं कि-

1- 'क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.11.2020 को समय 2.00 पी.एम. पर सुलभ कॉम्पलेक्स प्रताप कोलोनी, कुम्हेर गेट भरतपुर पर परिवादी महेश झा के मोबाइल आईएमईआई नम्बर 868368038533024 को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया ?

2- यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?

उपरोक्त अवधार्य बिन्दू के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार हैं-

08. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायालय का विवेचन मय कारण निम्न निम्न है- माननीय उडीसा उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय **बृजमोहन प्रसाद बनाम उडीसा राज्य (1985) में Crimes 551** में यह अभिनिर्धारित किया है कि - "in order to constitute an offence of theft, the person must have removed movable property out of the possesion of another dishonestly and without that person's consent. If any single element out of the above elements is missing, the prosecutuion fails." उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को चोरी के प्रकरणों में चोरी की गई संपत्ति का कब्जा, बेईमानी से ले जाने का आशय, कब्जाधारक की सम्मति/सहमति के बिना एवं संपत्ति को स्थान से हटाना अभिनिर्धारण करना आवश्यक है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को चोरी के प्रकरणों में (1) चोरी हुई सम्पत्ति का कब्जा, (2) बेईमानी से ले जाने का आशय, (3) कब्जाधारक की सहमति के बिना एवं सम्पत्ती को स्थान से हटाने सम्बन्धी तथ्यों का अभिनिर्धारण करना आवश्यक है।

09. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.1 पूजा जो कि परिवादी की पुत्रवधु है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.01.2020 को उसका रेडमी कम्पनी का मोबाइल चोरी हो गया था जो उसके पति के नाम था जिसमें जियों कम्पनी की सिम थी एवं जिसके नम्बर 8799748731 था जो तलाश करने पर नहीं मिला। नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसका मोबाइल दिनांक 03.01.2020 को चोरी हुआ था। मोबाइल चोरी की सूचना देने वह थाना कोतवाली गई थी। पुलिस ने उसका मोबाइल एक साल बाद दिया था। मोबाइल के बिल उसके पति के नाम थे।

10. गवाह पी.ड.2 मोहित प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है परन्तु इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह किये

जाने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.2 के ए से बी व सी से डी भाग जिसमें परिवादी के मोबाइल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किये जाने का तथ अंकित है, उसे सही बताया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने पूजा का मोबाइल चोरी होने एवं पुलिस द्वारा उसकी जानकारी के बिना हस्ताक्षर कराये जाने का कथन किया है।

11. गवाह पी.ड.3 महेश प्रकरण का परिवादी है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब दो साल पहले दोपहर की बात है। वह घर पर पेन्ट का कार्य कर रहा था उसकी पुत्रवधु पूजा बाहर मोबाइल को चार्ज में लगाकर घर के अन्दर चली गई थोडी देर बाद बाहर आई तो मोबाइल वहां नहीं मिला, ढूढने पर भी नहीं मिला। इस पर उसने इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी.3 है, पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाया जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। मोबाइल का बिल प्रदर्श पी.4 है। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया था जिसे उसने सुपुर्दगी पर लिया था। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि चोरी गया मोबाइल न्यायालय में पेश नहीं हैं। चोरी हुआ मोबाइल उसके नाम से नहीं है।

12. गवाह पी.ड.4 अभिषेक वह व्यक्ति है जिसने नरेन्द्र महावर नामक व्यक्ति को अभियुक्त प्रशान्त से चोरी गया मोबाइल खरीदने हेतु मिलवाया था परन्तु यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसके सामने मोबाइल लेनदेन नहीं हुआ था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.5 नरेन्द्र वह व्यक्ति है जिसने अभियुक्त प्रशान्त से मोबाइल खरीदा है परन्तु यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह ने यह जरूर स्पष्ट किया है की उससे प्रशांत ने मोबाईल ले लिया था और 2800/- रूपये अभिषेक के हाथों भिजवाने का कहा था। गवाह ने प्रदर्श 07 पुलिस को देना बताया है जिसमें यह तथ्य जाहिर है कि उसमें मोबाइल प्रशांत से अभिषेक के कहने पर लिया था और फिर वापस प्रशांत को वो मोबाइल दे दिया।

13. गवाह पी.ड.6 सुशील कुमार फर्द जप्ती व फर्द गिरफतारी का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.02.2021 को वह थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर था। उस दिन बच्चूसिंह एचसी के द्वारा मुलजिम प्रशान्त बुन्देल को जरिये प्रदर्श पी.8 के गिरफतार किया तथा मुलजिम की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर एक मोबाइल जरिये प्रदर्श पी.9 के बरामद कराया, बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.10 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम की तलाशी उसके द्वारा ली गई थी तथा जो मोबाइल बरामद हुआ वह आज उसके सामने नहीं है। मुकदमें की सारी कार्यवाही मौके पर की गई थी। बरामदगी पर उसके, प्यारेलाल, मुलजिम व अनुसन्धान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये थे।

14. गवाह पी.ड.7 भूपालसिंह प्रकरण का अनुसन्धान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.01.2021 को थाना कोतवाली पर एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन न्यायालय से इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर उसे अनुसन्धान मिला। इस्तगासा प्रदर्श पी.3 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी.9 पर प्रमेश कुमार एएसआई के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 बनाया, मुलजिम को जरिये प्रदर्श पी.8 के गिरफतार किया गया, मुलजिम की इत्तला पर मोबाइल को जरिये प्रदर्श पी.9 के जप्त किया गया, बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.10 बनाया गया, जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर हैं। नरेन्द्र महावर ने एक तहरीर प्रदर्श पी.7 पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ को पेश की जिन्होने आरोप पत्र पेश किया जिस पर एसएचओ रामकिशन यादव के हस्ताक्षर हैं जिनको वह पहचानता है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि मोबाइल से संबंधित कागजात इस्तगासा के साथ आये थे। मोबाइल ट्रेस करने हेतु उसने कॉल किया तो उस पर नरेन्द्र महावर बोला था जिससे मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। मोबाइल प्रशान्त से बरामद हुआ था। प्रशांत के घर में उसके कमरे की अलमारी के ऊपर से मोबाइल उतारा था।

15. गवाह पी.ड.8 राजकुमार फर्द गिरफतारी का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में उसके सामने मुलजिम प्रशान्त को जरिये प्रदर्श पी.8 के गिरफतार किये जाने का कथन किया है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम को गिरफतार किया तब वह व सुशील मौजूद थे।

16. गवाह पी.ड.9 प्यारेलाल बरामदगी का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.02.2021 को वह थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर था। उस दिन भूपालसिंह एचसी के द्वारा मुलजिम प्रशान्त की इत्तला पर एक मोबाइल जरिये प्रदर्श पी.9 के बरामद कराया, बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.10 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.10 में बरामदगी कमरे में से की थी तथा मोबाइल आलमारी के ऊपर रखा हुआ था जिसे प्रशान्त ने उठाकर दिया था।

17. चोरी के प्रकरण में सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि चुराया गया माल पीडित व्यक्ति के कब्जे का हो व ऐसे माल को पीडित व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस आशय से ले जाया गया हो कि पीडित व्यक्ति को उस सामान के गायब होने से सदोष हानि हो। न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रदर्श पी.3 इस्तगासा के अनुसार प्रकरण में चुराया गया माल मोबाइल था जो कि प्रकरण के परिवादी महेश झा के कब्जेधीन था व उसके कब्जे में रहते हुए ही

उक्त मोबाइल दिनांक 13.11.2020 को दोपहर दो बजे के लगभग चोरी हुआ था। प्रदर्श पी.3 में चोरी करने वाले व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। हालांकि चोरी जैसा अपराध आमजन छुपकर किया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का पक्ष का यह तर्क कि तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम उजागर नहीं किया है न्यायालय अस्वीकार करता है। न्यायालय के मत में जबकि परिवादी द्वारा स्वयं अपना मोबाइल किसी व्यक्ति को दिया जाना जाहिर नहीं किया गया है तब ऐसी सूरत में कोई व्यक्ति बिना परिवादी को सूचित किये मोबाइल लेकर जाता है तो वह चोरी की धारा के अपराध की श्रेणी में आयेगा ।

18. अब प्रश्न यह उठता है कि चोरी गया सामान क्या अभियुक्त के कब्जे से बरामद हआ। इस सम्बन्ध में पुनः पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा प्रदर्श पी.9 के अनुसार फर्द जप्ती व बरामदगी मोबाइल बनाई गई है। प्रकरण का मुख्य बरामदगी अधिकारी पी.ड.7 भूपालसिंह है जिसने मुख्य परीक्षा में प्रकरण में चोरी गया मोबाइल अभियुक्त प्रशान्त की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर मुलजिम प्रशान्त के घर में गोदरेज की अलमारी के ऊपर से अभियुक्त द्वारा मोबाइल दिये जाने पर जप्त किये जाने का स्पष्ट कथन किया है और जो तथ्य विस्तृत जिरह के बावजूद भी अखण्डित रहा है। उक्त बरामदगी व जप्ती के गवाह पी.ड.6 सुशील कुमार व पी.ड.9 प्यारेलाल हैं। उक्त दोनों गवाहान द्वारा फर्द जप्ती मौके पर बनायी जाना अभिकथित किया गया है। उक्त गवाहान द्वारा यह स्पष्ट अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त के घर से मोबाइल उनके सामने जप्त किया गया था। उक्त गवाहान की साक्ष्य में कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में विरोधाभास अवश्य आया है परन्तु उनके बयानों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास नहीं आया है जिससे जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद माना जा सके और जिसका लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी हो। अभियुक्त पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह को जप्ती का साक्षी नहीं बनाया गया है। इस कारण से जप्ती संदेहास्पद है। इस सम्बन्ध में निर्णय **State (Govt. of NCT of Delhi) vs. Sunil** (2001) 1 **SCC** 652 को आधार बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय **Kulwinder Singh vs. State of Punjab** (2015) 6 **SCC** 674 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि "23... That apart, the case of the prosecution cannot be rejected solely on the ground that independent witnesses have not been examined when, on the perusal of the evidence on record the Court finds that the case put forth by the prosecution is trustworthy. When the evidence of the official witnesses is trustworthy and credible, there is no reason not to rest the conviction on the basis of their evidence." न्यायालय के मत में केवल किसी गवाह का पुलिस से हितबद्व होने के आधार पर उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पर

संदेह उत्पन्न होने का कारण नहीं समझा जा सकता। अभियुक्त पक्ष से यह अपेक्षित था कि वह यह सिद्व करे कि पुलिस गवाह उससे व्यक्तिगत द्वैष एवं अन्य रंजिश रखते हो जिस कारण उन्होने यह बयानात न्यायालय में दिये हो। ऐसा कोई तथ्य भी न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पेश नहीं कर पाया है यहां तक कि अभियुक्त द्वारा दौराने बयान मुलजिम भी उक्त तथ्यों का साक्ष्य के आधार पर खण्डन नहीं किया है। चोरी के मुकदमे में जप्ती की साक्ष्य महत्वपूर्ण है और हस्तगत प्रकरण में आई साक्ष्य स्पष्ट रुप से यह स्थापित करती है कि प्रकरण में चुराया गया मोबाइल जप्ती के समय अभियुक्त के अनन्य व चैतन्य कब्जे में थी व कब्जा रहते हुए मोबाइल को पुलिस द्वारा जप्त किया गया।

19. उपरोक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे कहानी को सिद्व किया गया है, अवधार्य बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में चोरी की घटना अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल द्वारा किया जाना साबित होने पर उक्त बिन्दु सकारात्मक रुप से अभिनिर्धारित किया जाकर यह पाया जाता है कि अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल द्वारा दिनांक 13.11.2020 को दो पीएम पर सुलभ कॉम्पलेक्स प्रताप कोलोनी कुम्हेर गेट भरतपुर से परिवादी महेश झा के मोबाइल आईएमईआई नम्बर 868368038533024 को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानी से हटाकर चोरी कारित की गई एवं इस प्रकार अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है ।

- आदेश -

20. परिणामतः अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल पुत्र ठाकुर सिंह, तत्समय उम्र 18 साल 01 माह, निवासी कुम्हेर गेट, प्रताप कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, भरतपुर (राज.) को आरोपित अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दोषसिद्व घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू पत्र व व्यक्तिगत बन्धपत्र एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(अंशुमान सिंह खंगारोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या-1, भरतपुर

21. **सजा के बिन्दु पर सुना गया।** विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा अभियुक्त प्रकरण में लगभग दो वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है। वक्त घटना अभियुक्त लगभग 20 वर्षीय नवयुवक

रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का निवेदन रहा है कि अभियुक्त के विरुद्व मोबाइल चोरी का अपराध अर्न्तगत धारा 379 भा.द.स. सन्देह से परे प्रमाणित हुआ है। यदि इस प्रकार के अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तो इस प्रकार के अपराधों में बढोत्तरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

22. सजा के बिंदू के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मध्यप्रदेश राज्य बनाम उधम व अन्य (Criminal appeal 690/2014) dated 22.10.2019** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

"Sentencing for crimes has to be analyzed on the touch stone of three tests fiz., crime test, criminal test and comparative proportionality test. Crime test involves factors like extent of planning, choice of weapon, modus of crime, disposal modus (if any), role of the accused, anti-social or abhorrent character of the crime, state of victim. Criminal test involves assessment of factors such as age of the criminal, gender of the criminal, economic conditions or social background of the criminal, motivation for crime, availability of defense, state of mind, instigation by the deceased or any one from the deceased group. Adequately represented in the trial, disagreement by a judge in the appeal process, repentance, possibility of reformation, prior criminal record (not to take pending cases) and any other relevant factor (not an exhaustive list)"

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं समाज में बढ़ रही चोरी की घटनाओ को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है-

- दण्डादेश -

23. फलतः अभियुक्त प्रशान्त बुन्देल पुत्र ठाकुर सिंह, तत्समय उम्र 18 साल 01 माह, निवासी कुम्हेर गेट, प्रताप कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, भरतपुर (राज.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अपराध के आरोप में दोषसिद्धी पर, अभियुक्त को **छः माह के साधारण कारावास तथा रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड

अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पूर्व में भुगती गई पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार समायोजित योग्य होगी। सजा वारंट उपरोक्तानुसार मुर्तिब हो। परिवादी को प्रतिकर दिलवाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

24. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल को न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सुपुर्दगी पर दिया गया था जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे अन्यथा अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार व्ययन हो। प्रकरण में यदि कोई मालखाना हो तो उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त पक्ष को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(अंशुमान सिंह खंगारोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या-1, भरतपुर

25. निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। आदेश की प्रति सीआईएस पर अपलोड की जावे।

(अंशुमान सिंह खंगारोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या-1, भरतपुर